संख्या–1325/XXIV(1)/2009–50/2008

प्रेषक,

डा0राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर,2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–2010 हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28.07.2009 तथा शासनादेश संख्या–496/XXIV(1)/2009–50/2008, दिनांक 05.05.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर व्यय हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 14,14,04,000/– (रूपये चौदह करोड़ चौदह लाख चार हजार मात्र) तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 19,81,75,000/– (रूपये उन्नीस करोड़ इक्यासी लाख पिच्छर हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 33,95,79,000/– (रूपये तैतीस करोड़ पिचानवें लाख उन्सत्तर हजार मात्र) की धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मात्र बचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक मदों पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों से व्यय हेतु धनराशि के आहरण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अब योजनावार स्वीकृत की जा रही धनराशि में शासनादेश संख्या–496/XXIV(1)/2009–50/2008, दिनांक 05.05.2009 में, (01 अप्रैल,2009 से 31 जुलाई,2009 तक) स्वीकृत धनराशि भी सम्मिलित

है। यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

3. आयोजनागत योजनाओं में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्यवयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों की विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(7) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–394(P)/वित्त अनुभाग–3/2007, दिनांक 14.07.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–1325/XXIV(1)/2009–50/2008, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
अनुदान संख्या–11			
2202–	सामान्य शिक्षा		
01–	प्रारम्भिक शिक्षा		
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
04–	बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण	–	
	04–यात्रा व्यय		5000
	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	–	2000
	08–कार्यालय व्यय	–	1000
	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	–	3000
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	–	5000
	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	1500
	42–अन्य व्यय	–	5000
	45–अवकाश यात्रा व्यय	–	1000
	योग, 04:–	–	**23500**
102–	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता		
07–	विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता		
17–	शिक्षक बन्धुओं को मानदेय का भुगतान		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	384	–
18–	शिक्षा मित्रों का मानदेय		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	100000	173600
20–	विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	40000	–
21–	पोषाहार ढुलान भाड़े का भुगतान		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1020	–
	योग, 102:–	**141404**	**197100**
106–	अध्यापक और अन्य सेवायें		
	91–बेसिक स्कूलों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार		
	42–अन्य व्यय	–	75
109–	छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन		
04–	प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पन्द्रह रू0 प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति		
	21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	–	1000
	महायोग (अनुदान संख्या–11)	**141404**	**198175**

तिवारी

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।